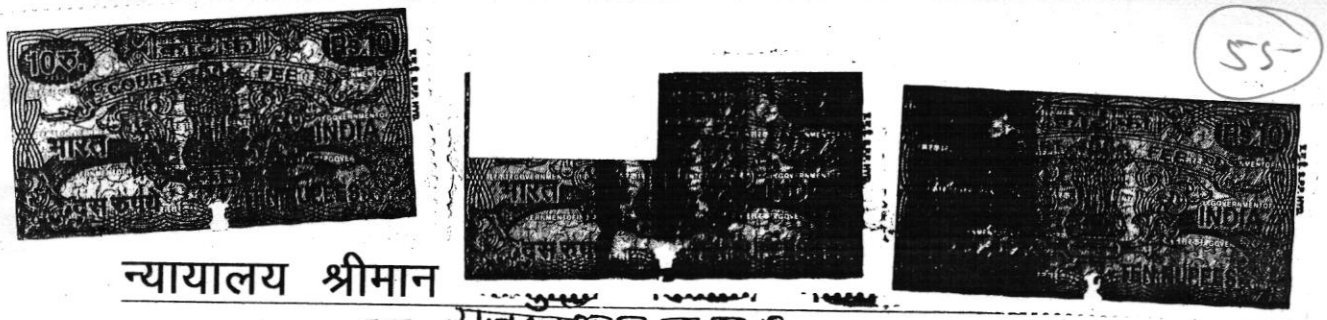

55

न्यायालय श्रीमान

अध्य. राजस्व मण्डल म.प्र.   पुनरीक्षण क्रं. -------- / 2017

जगदीश सिंह पुत्र श्री सूरत सिंह जाति दांगी
निवासी – ग्राम मैनखेडी तहसील कुरवाई,
जिला विदिशा म.प्र.   ----------------   पुनरीक्षणकर्ता

I/निगरानी/विदिशा/भू.रा/2017/3920

विरूद्ध

1- सर्व साधारण   ----------------   विपक्षी / रेस्पोडेट
2- बलवीर सिंह पुत्र गणप्रतापसिंह
3- मुनीब सीलराज निवासीगण ग्राम - मैन खेड़ी तहसील - कुरवाई जिला विदिशा म.प्र. - - प्रत्यर्थीगण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निम्नानुसार नम्र निवेदन हैं कि:–

पुनरीक्षणकर्ता न्यायालय तहसीलदार तहसील कुरवाई द्वारा प्रकरण क्र 11 / अ–6 / 16–17 पक्षकार जगदीश सिंह विरूद्ध सर्वसाधारण में पारित आदेश दिनांक 15.09.2017 से व्यथित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष यह पुनरीक्षण याचिका निम्नलिखित तथ्य तथा आधारो पर प्रस्तुत है–

प्रकरण के तथ्य

पुनरीक्षण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अधिनस्थ तहसीलदार के समक्ष एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 109,110 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत एक आवेदन पत्र नामांतरण हेतु इस आधार पर प्रस्तुत किया था कि ग्राम मैनखेडी तहसील कुरवाई, जिला विदिशा म.प्र. मे स्थित भूमि सर्वे नं. 256 / 02 / 04 रकबा 0.025 हेक्टर 357 / 1 / 1 रकबा 0.849 हेक्टर कुल किता दो कुल रकबा 0.874 हेक्टर भूमि स्व.कमरसाहब पुत्र श्री परतापसिंह जाति दांगी निवासी–ग्राम मैनखेडी तहसील कुरवाई के नाम पर दर्ज होकर मालिक एवं स्वामित्व आधिपत्यधारी होकर काबिज है तथा और उनका देहांत दिनांक 03.08.2017 को हो गया वह अविवाहित होकर निःसंतान थे केवल पुनरीक्षणकर्ता ही उनका भतीजे के रूप मे साथ मे था और उनकी सेवा सत्कार दवा–दारू आदि करता था। पुनरीक्षणकर्ता के सेवा–भाव से प्रसंन्न होकर उनके द्वारा पुनरीकक्षणकर्ता के पक्ष मे उपरोक्त संम्पत्ति का वसीयतनामा दिनांक 01.09.2012 को दो गवाहो के समक्ष निष्पादित किया था और वसीयतनामा अनुसार पुनरीक्षणकर्ता उनकी मृत्यु के उपरांत उक्त भूमि पर पुनरीक्षणकर्ता को भूमि स्वामी की हैसियत से बतौर राजस्व रिकॉर्ड एवं कंम्प्यूटर रिकॉर्ड में अपना नामांतरण दर्ज कराने हेतु निवेदन किया था जिस पर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षणकर्ता ने स्वंय के कथन साक्षी मेहरबानसिंह तथा साक्षी बलवीर एवं साक्षी रामकृष्ण रधुवंशी के कथन कराये और प्रतिपरीक्षण उपरांत मुक्त किया गया, और इसी दौरान बलवीर पुत्र परतापसिंह ने स्व.कमरसाहब को सगाभाई बताते हुए तथा वसीयत को फर्जी बताते हुए एक आपत्ति अधिनस्थ तहसीलदार के समक्ष दिनांक 12.06.2017 को प्रस्तुत की गयी जबकि उक्त बलवीर सिंह ने प्रकरण में पुनरीक्षणकर्ता के पक्ष मे कथन दिये है और कथन शपथ पत्र में शपथ पूर्वक यह कथन

16-10-17

पेशी दि. 7-11-17

Haled.

निरन्तर ....2 /

(55)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा/.2017/3920

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-2-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	